[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2013 का विधेयक संख्यांक 27

[दि एंप्लॉएमेंट एक्सचेंजेज (कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेन्सीस) अमेंडमेंट बिल, 2013 का हिन्दी अनुवाद]

नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013

नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन अधिनियम, 2013 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

बृहत् नाम का संशोधन।

2. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के बृहत नाम में, ''नियोजनालयों'' शब्द के स्थान पर, ''नियोजन मार्गदर्शन और संवर्धन केन्द्र'' शब्द रखे जाएंगे। 1959 का 31

धारा 1 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, ''नियोजनालय'' शब्द के स्थान पर, ''नियोजन मार्गदर्शन और संवर्धन केन्द्र'' शब्द रखे जाएंगे।

कतिपय पदों के स्थान पर कतिपय अन्य पदों के निर्देशों का रखा जाना।

4. संपूर्ण मूल अधिनियम में जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया जाए, ''नियोजनालय'' और ''नियोजनालयों'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''नियोजन मार्गदर्शन और संवर्धन केन्द्र'' और ''नियोजन मार्गदर्शन और संवर्धन केन्द्रों'' शब्द क्रमश: रखे जाएंगे और ऐसे अन्य पारिणामिक संशोधन भी, जो व्याकरण के नियमों के अनुसार अपेक्षित हों, किए जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(अ) खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखें जाएंगे, अर्थात्:—

'(ख) ''कर्मचारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो लगातार, दो सौ चालीस दिन से अन्यून की अवधि के लिए पारिश्रमिक पर कोई काम करने के लिए किसी स्थापन में नियोजित है या संविदा के आधार पर लगा हुआ है;

(ग) ''नियोजक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो लगातार, दो सौ चालीस दिन से अन्यून की अवधि के लिए पारिश्रमिक पर कोई काम करने के लिए एक या अधिक अन्य व्यक्तियों को किसी स्थापन में नियोजित करता है या संविदा करता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसको ऐसे स्थापन में कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण न्यस्त किया गया है;

(घ) ''नियोजन मार्गदर्शन और संवर्धन केन्द्र'' से ऐसा कार्यालय या स्थान अभिप्रेत है जिसे समुचित सरकार ने—

(i) ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, जो कर्मचारियों को काम पर लगाना चाहते हैं;

(ii) ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, जो नियोजन चाहते हैं;

(iii) ऐसी रिक्तियों के संबंध में, जिनमें नियोजन चाहने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकेगा; और

(iv) ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, जो स्वत: नियोजन आरंभ करने के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और वृति संबंधी परामर्श या मार्गदर्शन चाहते हैं,

जानकारी या तो रजिस्टर रख कर या इलैक्ट्रानिक माध्यम से या अन्यथा संगृहीत करने और देने के लिए स्थापित किया है और बनाए रखा है;';

(आ) खंड (छ) में ''पच्चीस या अधिक'' शब्दों के स्थान पर ''दस या अधिक'' शब्द रखे जाएंगे;

(इ) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(छक) ''बागान'' से कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी के स्वामित्व और उसके द्वारा प्रबंधित केन्द्रीय रूप से प्रबंध के अधीन खेती की समान पद्धति द्वारा बृहत स्तर पर ऊष्णकटिबंधीय और उप ऊष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में व्यापक रूप से खेती की जाने वाली बारहमासी प्रकृति की वाणिज्यिक फसलों के रोपण के लिए किसी भूमि को तैयार करना अभिप्रेत है किंतु इसमें किसी व्यष्टि के स्वामित्व या उसके द्वारा प्रबंधित बागान सम्मिलित नहीं है;'; 1956 का 1

(ई) खंड (झ) का लोप किया जाएगा।

धारा 3 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, ''जो'' शब्द के पश्चात् ''बागान में नियोजन या'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ङ) में, ''संसद्'' शब्द के पश्चात् ''या विधान-मंडल'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा।

7. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में,— धारा 4 का संशोधन।

(i)'' प्राइवेट सेक्टर में के हर स्थापन'' शब्दों से पहले ''पच्चीस या अधिक नियोजित व्यक्तियों के'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii)'' प्राइवेट सेक्टर में के स्थापनों के किसी वर्ग या प्रवर्ग'' शब्दों से पहले ''पच्चीस या अधिक नियोजित व्यक्तियों के'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

8. मूल अधिनियम की धारा 5 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 5 का संशोधन।

''(4) नियोजक, धारा 4 के अधीन अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध चयन के परिणामों से संबंधित जानकारी, नियोजन मार्गदर्शन और संवर्धन केन्द्र को चयन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, देगा।''।

9. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 5क का अंत:स्थापन। विवरणियां भरने के लिए प्राइवेट सेक्टर के कतिपय स्थापनों की बाध्यताएं।

''5क. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियोजन प्रास्थिति से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, ऐसी तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, यह अपेक्षा कर सकेगी कि पच्चीस से कम नियोजित व्यक्तियों के प्राइवेट सेक्टर के प्रत्येक स्थापन में या पच्चीस से कम नियोजित व्यक्तियों के प्राइवेट सेक्टर के स्थापनों के किसी वर्ग या प्रवर्ग से संबंधित प्रत्येक स्थापन में नियोजक, ऐसे नियोजन मार्गदर्शक और संवर्धन केन्द्र को, जो विहित किए जाएं, उस स्थापन में हुई या होने वाली रिक्तियों के संबंध में ऐसी सूचना या विवरणी, जो विहित की जाए, देगा और नियोजक उस पर ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करेगा।''।

10. मूल अधिनियम की धारा 6 में,— धारा 6 का संशोधन।

(i)''किसी ऐसे नियोजक के कब्जे में है जिससे धारा 5 के अधीन कोई जानकारी या विवरणियां देने की अपेक्षा की गई है'' शब्दों और अंक के स्थान पर, ''किसी ऐसे नियोजक के कब्जे में है जिससे धारा 4 के अधीन कोई नियोजन मार्गदर्शन और संवर्धन केन्द्रों को रिक्तियां अधिसूचित करने या धारा 5 या धारा 5क के अधीन कोई जानकारी या विवरणियां देने की अपेक्षा की गई है'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii)''उस धारा के अधीन'' शब्दों के स्थान पर ''धारा 5 या धारा 5क के अधीन'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

11. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 7 का प्रतिस्थापन। शास्तियां।

''7. (1) यदि कोई नियोजक, धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसार किसी रिक्ति के प्रयोजन के लिए विहित नियोजन मार्गदर्शन और संवर्धन केन्द्र को अधिसूचित करने में असफल रहेगा तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, और प्रत्येक द्वितीय अपराध के लिए जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या ऐसे साधारण कारावास से जो एक मास तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति,—

(क) धारा 5 के अधीन कोई जानकारी या विवरणी देने के लिए अपेक्षित होने पर,—

(i) ऐसी जानकारी या विवरणियां देने से इंकार करेगा या उसमें उपेक्षा करेगा; या

(ii) ऐसी जानकारी या विवरणी देगा या दिलवाएगा जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है; या

(ख) धारा 6 द्वारा प्रदत्त किसी सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज तक पहुंच के अधिकार में या प्रवेश के अधिकार में अड़चन डालेगा, या

(ग) धारा 5 या धारा 5क के अधीन अपेक्षित किसी जानकारी को अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक, धारा 6 के अधीन पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा या मिथ्या उत्तर देगा,

तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, और प्रत्येक द्वितीय अपराध के लिए जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या साधारण कारावास से जो एक मास तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।''।

नई धारा 7क और धारा 7ख का अंत:स्थापन।

12. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 5क के उल्लंघन के लिए शास्ति।

''7क. यदि, धारा 5क में निर्दिष्ट प्राइवेट सेक्टर में किसी स्थापन का कोई नियोजक—

(क) उस धारा के अधीन कोई जानकारी या विवरणी देने के लिए अपेक्षित होने पर,—

(i) ऐसी जानकारी या विवरणियां देने से इंकार करेगा या उसमें उपेक्षा करेगा, या

(ii) ऐसी जानकारी या विवरणी देगा या दिलवाएगा जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है, या

(ख) धारा 6 द्वारा प्रदत्त किसी सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज तक पहुंच के अधिकार में या प्रवेश के अधिकार में अड़चन डालेगा,

तो वह, लगातार दो व्यतिक्रमों के पश्चात्, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती व्यतिक्रम के लिए, जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम के लिए पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

7ख. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे किए जाने वाले अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी ऐसे किए गए अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के संबंध में, ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।'।

धारा 10 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(खक) वह प्ररूप जिसमें चयन के परिणाम से संबंधित जानकारी, धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन नियोजक द्वारा दी जा सकेगी;

(खख) ऐसी रिक्तियों के संबंध में जानकारी या विवरणी, जो ऐसे प्राइवेट सेक्टर और नियोजन मार्गदर्शन और संवर्धन केन्द्र में, जिसको धारा 5क के अधीन ऐसी जानकारी या विवरणी दी जाएगी, किसी स्थापन में हुई हैं या होने को हैं;''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नियोजन (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 का अधिनियम नियोजनालयों को रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना का उपबंध करने के लिए और नियोक्ताओं द्वारा नियोजन की स्थिति से संबंधित नियोजन और वृत्तिक दोनों विवरणियों का उपबंध करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 1952 में गठित प्रशिक्षण और नियोजन सेवा संगठन समिति की सिफारिशों पर किया गया था।

2. वर्षों के दौरान उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव और सामना की गई कठिनाइयों के आधार पर उक्त अधिनियम के संशोधन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए थे। प्रस्तावित संशोधनों पर राष्ट्रीय नियोजन सेवा कार्यदल की विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था। उक्त कार्यदल ने व्यापक रूप से संशोधनों का समर्थन किया था। इसके अतिरिक्त अधिनियम का अधिनियमन पांच दशक पूर्व किया गया था और समय के साथ इसके कुछ उपबंध अनावश्यक और अप्रचलित हो गए हैं,, जिनके लोप किए जाने की आवश्यकता है। उक्त अधिनियम को वर्तमान अपेक्षाओं के अनुसार लाने के लिए अधिनियम में कतिपय संशोधन भी आवश्यक समझे गए हैं।

3. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विधेयक, 2013 अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है—

(क) नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के संक्षिप्त नाम को परिवर्तित करके ''नियोजन मार्गदर्शन और संवर्धन केन्द्र (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959'' करने और तदनुसार अधिनियम के बृहत् नाम का संशोधन करने;

(ख) केवल रोजगार के लिए रजिस्ट्रीकरण के स्थान पर मार्गदर्शन और परामर्श के पहलू पर बल देने के लिए उक्त संपूर्ण अधिनियम में ''नियोजनालय'' शब्द के स्थान पर, ''नियोजन मार्गदर्शन और संवर्धन केन्द्र'' शब्द रखने;

(ग) दस या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापनों से नियोजन जानकारी एकत्रित करने के लिए ''प्राइवेट सेक्टर में का स्थापन'' की परिभाषा से संबंधित धारा 2 के खंड (छ) में 'पच्चीस या अधिक' शब्दों के स्थान पर 'दस या अधिक' शब्दों को प्रतिस्थापित करके संशोधन करने के लिए;

(घ) ''बागान'' अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के लिए धारा 2 में एक नया खंड (छक) अंत:स्थापित करने, जिससे बागान सेक्टर में रिक्तियों को अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन लाया जा सके और इस अधिनियम के उपबंधों को किसी व्यष्टि द्वारा स्वैच्छिक आधार पर स्वामित्व और प्रबंध किए गए बागानों पर लागू किया जा सके;

(ङ) अकुशल कार्यालय कार्य से संबंधित रिक्तियों और बागान सेक्टर से संबंधित रिक्तियों को भी, कृषि या फार्म मशीनरी प्रचालकों के रूप में नियोजन के साथ, अधिसूचित करने के लिए धारा 3 की उपधारा (1) का संशोधन करने;

(च) संसद् के कर्मचारिवृंद के समान राज्य विधान-मंडल के कर्मचारिवृंद की रिक्तियों को अधिनियम के लागू होने से छूट का उपबंध करने;

(छ) किसी नियोजन में ऐसी रिक्तियों से, जिनका पारिश्रमिक किसी एक मास में साठ रुपए से कम है, संबंधित उपबंधों का लोप करने, चूंकि ऐसा मुश्किल से कोई पद है जिसके लिए ऐसा पारिश्रमिक है;

(ज) अधिनियम के अधीन अधिसूचित रिक्तियों पर चयन से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए नियोक्ता पर बाध्यता के लिए उपबंध करने;

(झ) पारिश्रमिक के लिए दस या अधिक किंतु पच्चीस से कम व्यक्ति नियोजित करने वाले स्थापनों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए और विवरणियां प्रस्तुत करने में किसी असफलता की दशा में दो लगातार व्यतिक्रमों के पश्चात् जुर्माने का जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती व्यतिक्रम के लिए जुर्माने का जो प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम के लिए पांच हजार रुपए तक हो सकेगा, दंड का उपबंध करने के लिए एक नई धारा 5क का अंत:स्थापन करने;

(ञ) शास्ति उपबंधों को अधिक कठोर करके, जिसके अंतर्गत कारावास और प्रथम अपराध के लिए जुर्माने की रकम को बढ़ाना जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा, किसी दूसरे अपराध के लिए जुर्माना जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा और किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माना जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या साधारण कारावास जो एक मास तक का हो सकेगा या दोनों का अतिरिक्त उपबंध भी

है, उक्त अधिनियम की बेहतर विस्तार और उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए धारा 7 का प्रतिस्थापन करने;

(ट) नई धारा 7क और 7ख का अंत:स्थापन करने जिससे दस या अधिक किन्तु पच्चीस से कम व्यक्ति नियोजित करने वाले स्थापनों द्वारा विवरणियों को न देने के लिए शास्तियों का उपबंध किया जा सके और पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को, जो नियोजन के अवसरों का प्रस्ताव कर रही हैं, अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन लाया जा सके और ऐसी कंपनियों में कार्य कर रहे किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए, अपराध कारित करने के लिए दायी बनाया जा सके।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
18 जनवरी, 2013

मल्लिकार्जुन खरगे

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 13, नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित धारा 10 का, धारा 10 की उपधारा (2) में खंड (खक) और खंड (खख) अंत:स्थापित करके संशोधन करने के लिए है। अंत:स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित खंड (खक) केन्द्रीय सरकार को, धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन नियोक्ता द्वारा चयन के परिणाम से संबंधित दी जाने वाली सूचना के प्ररूप का उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। अंत:स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित खंड (खख) केन्द्रीय सरकार को, प्राइवेट सेक्टर के स्थापनों में उत्पन्न हुई या उत्पन्न होने वाली रिक्तियों से संबंधित सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने और नियोजन मार्गदर्शन और संवर्धन केन्द्र, जिनको धारा 5अ के अधीन ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत की जाएगी, के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को संसद् के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। वे विषय, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना अनिवार्य नहीं है। अत: विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959
(1959 का अधिनियम संख्यांक 31) से उद्धरण

नियोजनालयों को रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना देने का उपबंध करने के लिए
अधिनियम

* * * * *

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) यह अधिनियम नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 कहा जा सकेगा।

* * * * *

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(ख) ''कर्मचारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पारिश्रमिक पर कोई काम करने के लिए किसी स्थापन में नियोजित है;

(ग) ''नियोजक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पारिश्रमिक पर कोई काम करने के लिए एक या अधिक अन्य व्यक्तियों को किसी स्थापन में नियोजित करता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसे ऐसे स्थापन में कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण न्यस्त किया गया है;

(घ) ''नियोजनालय'' से ऐसा कार्यालय या स्थान अभिप्रेत है जिसे सरकार ने—

(i) ऐसे व्यक्तियों के बारे में, जो कर्मचारियों को काम पर लगाना चाहते हैं;

(ii) ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो नियोजन चाहते हैं; तथा

(iii) ऐसी रिक्तियों के बारे में, जिनमें नियोजन चाहने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है,

जानकारी या तो रजिस्टर रखकर या अन्यथा संगृहीत करने और देने के लिए स्थापित किया है और बनाए रखा है;

* * * * *

(छ) ''प्राइवेट सेक्टर में का स्थापन'' से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जो पब्लिक सेक्टर में का स्थापन नहीं है और जिसमें पारिश्रमिक पर काम करने के लिए मामूली तौर पर पच्चीस या अधिक व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं;

* * * * *

(झ) ''अकुशल कार्यालयिक काम'' से किसी स्थापन में निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारियों में से किसी द्वारा किया गया काम अभिप्रेत है, अर्थात्:—

(1) दफ्तरी;

(2) जमादार, अर्दली और चपरासी;

(3) झाड़पोंछ करने वाला व्यक्ति या फर्राश;

(4) बंडल या अभिलेख उठाने वाला;

(5) आदेशिका की तामील करने वाला;

(6) चौकीदार;

(7) मेहतर;

(8) कोई नेमी या अकुशल काम, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अकुशल कार्यालयिक काम घोषित करे, करने वाला कोई अन्य कर्मचारी।

कतिपय रिक्तियों के संबंध मे अधिनियम का लागू न होना।

3. (1) यह अधिनियम उन रिक्तियों के संबंध में लागू न होगा जो—

(क) कृषि में (जिसके अन्तर्गत उद्यान कृषि आती है), प्राइवेट सेक्टर में के किसी स्थापन में किसी ऐसे नियोजन में हैं जो कृषिक मशीनरी या फार्म मशीनरी के संक्रियाकारों के रूप में नियोजन से भिन्न है;

* * * * *

(घ) अकुशल कार्यालयिक काम करने के लिए किसी नियोजन में हैं;

(ङ) संसद् के कर्मचारिवृन्द से संसक्त किसी नियोजन में है।

(2) जब तक केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अन्यथा निर्दिष्ट न करे, यह अधिनियम उन रिक्तियों के संबंध में भी लागू न होगा—

* * * * *

(ख) जो ऐसे नियोजन में हैं जिसमें पारिश्रमिक एक मास में साठ रुपए से कम है।

नियोजनालयों को रिक्तियों की अधिसूचना।

4. (1) * * * * *

(2) समुचित सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपेक्षा कर सकेगी कि प्राइवेट सेक्टर में के हर स्थापन या प्राइवेट सेक्टर में के स्थापनों के किसी वर्ग या प्रवर्ग से संबंधित हर स्थापन में का नियोजक उस स्थापन में के किसी नियोजन में की कोई रिक्ति भरने से पूर्व उस रिक्ति को ऐसे नियोजनालयों को, जैसे विहित किए जाएं, उस तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिसूचित करेगा और तदुपरि नियोजक ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा।

* * * * *

अभिलेखों या दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार।

5. सरकार के ऐसे आफिसर की, जो इस निमित्त विहित किया जाए या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पहुंच किसी ऐसे सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज तक होगी जो किसी ऐसे नियोजक के कब्जे में है जिससे धारा 5 के अधीन कोई जानकारी या विवरणियां देने की अपेक्षा की गई है और वह किसी ऐसे परिसर में, जिसके बारे में वह विश्वास करता है कि वहां ऐसा अभिलेख या दस्तावेज है, युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा और सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा या उनकी प्रतिलिपियां ले सकेगा या उस धारा के अधीन अपेक्षित कोई जानकारी अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई प्रश्न पूछ सकेगा।

शास्तियां।

6. (1) यदि कोई नियोजक किसी रिक्ति को, उस प्रयोजन के लिए विहित नियोजनालयों को अधिसूचित करने में धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उल्लंघन में असफल रहेगा तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और हर पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक हज़ार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति—

(क) कोई जानकारी या विवरणी देने के लिए अपेक्षित होने पर—

(i) ऐसी जानकारी या विवरणी देने से इन्कार करेगा या उसमें उपेक्षा करेगा, अथवा

(ii) ऐसी जानकारी या विवरणी देगा या दिलवाएगा जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है, अथवा

(iii) धारा 5 के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी जानकारी को अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करेगा या उसका मिथ्या उत्तर देगा, अथवा

(ख) धारा 6 द्वारा प्रदत्त सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों तक पहुंच के अधिकार में या प्रवेश के अधिकार में अड़चन डालेगा,

तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, और हर पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

10. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब बातों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे—

* * * * *

GMGIPMRND—121RS—12-04-2013

SERVER 4/E/ BILL 2013/RS/121RS (H)